झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

1145
18/07/19

संकल्प

विषय : माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डब्लू.पी.(एस.) संख्या-502/2016 एवं डब्लू.पी.(एस.) संख्या-638/2006 में पारित न्यायनिदेश के आलोक में विभिन्न नियुक्ति वर्ष में प्रशिक्षित शिक्षकों के साथ नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति की तिथि के आधार पर ग्रेड-। की आपसी वरीयता वैचारिक रूप से निर्धारित करने के संबंध में।

गैर-सरकारी प्रारंभिक विद्यालय (नियंत्रण-ग्रहण) अधिनियम, 1976 द्वारा अराजकीय विद्यालयों का अधिग्रहण करने के बाद राजकीयकृत प्रारंभिक एवं मध्य विद्यालयों में मुख्यतः प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति जिला में निर्मित पैनल के माध्यम से की जाती थी, प्रारंभिक विद्यालय (कक्षा 1-8) के शिक्षकों का 1993 के पूर्व में भी परिस्थितिवश यथा प्रशिक्षित शिक्षकों के अभाव में **अप्रशिक्षित शिक्षकों की वृतिका पर नियुक्ति उर्दू, संस्कृत तथा विज्ञान विषयों** के लिए की जाती थी। संबंधित अप्रशिक्षित वृतिका पर नियुक्त शिक्षकों को अपने खर्च पर तीन वर्ष के अंदर प्रशिक्षण प्राप्त करना था। वेतनवृद्धि प्रशिक्षण पूरा करने के उपरांत ही देय था। नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया का संक्षिप्त व्यौरा निम्न तालिका में है:-

(क) (i) नियमित नियुक्ति

क्र.सं.	वर्ष	नियुक्ति की शक्ति का प्रकार	प्रावधान
1.	1974 के पूर्व	जिला परिषद्, नगर निगम एवं विद्यालय प्रबंधन समिति	संबंधित द्वारा अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर की जाती थी विशेष परिस्थिति में विज्ञान एवं भाषा के पदों पर योग्य प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के उपलब्ध नहीं रहने के कारण बी.एस.सी. अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति

			जिला पैनल द्वारा विज्ञान एवं भाषा (उर्दू/संस्कृत/अंग्रेजी) हेतु की गई है। विशेष रूप से सृजित पदों पर वृतिका आधारित नियुक्ति की गई।
2.	बिहार गैर-सरकारी प्रारंभिक विद्यालय (नियंत्रण/ग्रहण) अधिनियम-1976 के लागू होने के बाद वर्ष 1981-1982	जिला शिक्षा स्थापना समिति	जिले के प्रशिक्षित शिक्षकों से निर्मित पैनल के माध्यम से पद उपलब्धता के अनुसार नियुक्ति की जाती थी।
3.	वर्ष 1991 से 2002 तक (विद्यालय प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 1991 के अनुसार)	जिला शिक्षा स्थापना समिति	लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आलोक में अप्रशिक्षित शिक्षक की नियुक्ति की जाती थी।
4.	2002-2012 तक (झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली एवं संशोधन)	जिला शिक्षा स्थापना समिति	झारखण्ड प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2002 के आलोक में प्रशिक्षित शिक्षकों का लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर।
5.	2012 नियमावली	जिला शिक्षा स्थापना समिति	शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के लागू होने के कारण प्रशिक्षित एवं अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का सेवा क्रमांक के आधार पर जिला द्वारा।

(ii) विशेष परिस्थिति यथा प्रशिक्षित शिक्षक के अभाव में **वृतिका पर अप्रशिक्षित शिक्षक नियुक्त** किया जाता था। वृतिका पर नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षक को नियुक्ति के तीन वर्ष के अंदर अपने व्यय पर सक्षम प्राधिकार के अनुमति से प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य था।

(iii) प्रशिक्षित शिक्षक ही मैट्रिक प्रशिक्षित (ग्रेड-I) का वेतन का हकदार होता था। प्रशिक्षिण तिथि/प्रशिक्षित नियुक्ति की तिथि जो बाद की थी, उसी के आधार पर ग्रेड-I की वरीयता इत्यादि स्थापित प्रक्रिया के आधार पर दी जाती रही है। अधिकतर शिक्षक अपने सेवाकाल में इन शर्तों को पूरा कर चूके हैं।

(iv) प्रारंभिक शिक्षकों का कैडर जिला स्तरीय है। राज्य सरकार की नियुक्ति नियमावली के तहत संबंधित जिला स्थापना समिति की अनुशंसा पर

संबंधित जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा नियुक्ति की जाती थी। नियुक्ति का प्राधिकार जिला शिक्षा अधीक्षक घोषित हैं।

(ख) (i) **जिला अनुकम्पा समिति** की अनुशंसा पर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति दिनांक 23.06.1990 के पूर्व की जाती थी। संकल्प संख्या-839, दिनांक 23.06.1990 के द्वारा संबंधित व्यक्ति को सर्वप्रथम प्रशिक्षण महाविद्यालय में नामांकन कराया जाता था एवं प्रशिक्षण की परीक्षा उत्तीर्ण के उपरांत ही शिक्षक के पद पर विधिवत नियुक्ति कर योगदान कराया जाता था। समय पर प्रशिक्षण नहीं कराने के कारण मैट्रिक से उच्च योग्यताधारी को प्रशिक्षित वेतनमान भी प्रदान किया गया।

(ii) **अप्रशिक्षित शिक्षक** की अनुकम्पा पर चयन संकल्प संख्या-839, दिनांक 23.06.1990 से प्रारंभ की गई। प्रशिक्षण अवधि में वृतिका दी जाती थी।

(iii) बिहार सरकार के संकल्प संख्या-1641, दिनांक 08.08.1991 के तहत अनुकम्पा के आधार पर अप्रशिक्षित शिक्षक को वेतनमान 975-1540 में चयन कर नियुक्ति (बिना वार्षिक वेतन वृद्धि) की जाती थी। ग्रेड-I एवं वेतन वृद्धि मात्र प्रशिक्षित शिक्षक/प्रशिक्षणरत अप्रशिक्षित शिक्षक के प्रशिक्षण पूर्ण होने पर दी जाती थी। प्रशिक्षण की अवधि में वृतिका दी जाती थी। अनुकम्पा पर शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया का संक्षिप्त तालिकाबद्ध व्यौरा निम्न हैः-

अनुकम्पा नियुक्ति

क्र.सं.	वर्ष	नियुक्ति की शक्ति का प्रकार	प्रावधान
1.	1985 से (संकल्प संख्या-839, दिनांक 23.06.1990)	जिला शिक्षा अनुकम्पा समिति की अनुशंसा पर जिला शिक्षा स्थापना समिति द्वारा	मृत सरकारी शिक्षक के आश्रितों को शिक्षक पद पर नियुक्ति के उद्देश्य से मैट्रिक प्रशिक्षित एवं मैट्रिक में 45 प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर। अप्रशिक्षित व्यक्ति को अनुकम्पा के आधार पर प्रशिक्षण महाविद्यालय में नामांकन कराया जाता था एवं प्रशिक्षण के उत्तीर्ण होने के पश्चात् शिक्षक के पद पर योगदान कराया जाता था।

2.	(संकल्प संख्या 1641, दिनांक 08.08.1991	जिला शिक्षा अनुकम्पा समिति की अनुशंसा पर जिला शिक्षा स्थापना समिति द्वारा	अप्रशिक्षित को शिक्षक के पद पर नियुक्ति की सुविधा प्रदान की गई परन्तु अप्रशिक्षित वेतनमान का प्रारंभिक वेतन ही देय था एवं वेतनवृद्धि प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ही देय था। तीन (03) वर्ष के अंदर प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य था।
3.	वर्ष 1991 से (पत्रांक-252, दिनांक 01.12.1994)	जिला शिक्षा अनुकम्पा समिति की अनुशंसा पर जिला शिक्षा स्थापना समिति द्वारा	अप्रशिक्षित 45 प्रतिशत मैट्रिक में प्राप्तांक।
4.	वर्ष 2013 के बाद	जिला शिक्षा अनुकम्पा समिति की अनुशंसा पर जिला शिक्षा स्थापना समिति द्वारा	आर.टी.ई., 2009 जिसे शिक्षकों की नियुक्ति हेतु झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 के माध्यम से लागू किया गया है, जिसके अनुसार विद्यालय की मान्यता हेतु मानक इत्यादि के साथ वर्ग 6 से 8 में विषय विशेषज्ञ शिक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। संकल्प संख्या-945, दिनांक 13.05.2013 के अनुसार अनुकम्पा के आधार पर शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु प्रशिक्षित होने के साथ-साथ अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

2. (i) बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 1991 (यथा संशोधित 1993) के अनुसार बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आलोक में **मात्र अप्रशिक्षित** शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया।

(ii) वर्ष 1999-2000 में इसी कंडिका-2(i) में वर्णित नियमावली के तहत् कतिपय अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की गई।

(iii) प्रशिक्षण कार्य निर्धारित समय से काफी अवधि बीत जाने के बाद प्रोन्नति नहीं होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय में डब्लू.पी.(एस.) 638/2006 अरूण सिन्हा एवं अन्य बनाम-राज्य सरकार एवं अन्य दायर किया गया। उक्त वाद में पारित न्यायादेश के विरूद्ध दायर एल.पी.ए. संख्या-214/2008 एवं एस.एल.पी. संख्या-5520-5522/2013 में अतिम न्याय-निर्णय पारित होने के उपरांत विधि एवं वित्त विभाग के परामर्श के आलोक में मंत्रिपरिषद् के अनुमोदनोपरांत विभागीय संकल्प संख्या-3027, दिनांक 14.12.2015 के प्रावधानों के आलोक में वर्ष **1987, 1988,** 1994 एवं 1999-2000 में नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों को उनकी नियुक्ति की तिथि से ग्रेड-1 की पारस्परिक वरीयता प्रदान की गई। इसी में 1987 एवं 1988 दो वर्ष में नियुक्त शिक्षकों को भी जोड़ा गया, जो रिट पटीशन में पक्षकार नहीं थे।

(iv) न्याय-निर्णय मुख्यतः बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 1991 (यथा संशोधित 1993) के द्वारा नियुक्त शिक्षकों के पक्ष में था।

3. (i) **झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2002** के द्वारा परिवर्त्तन कर शिक्षक नियुक्ति हेतु **प्रशिक्षित रहना** अनिवार्य कर दिया गया है। कलान्तर में झारखण्ड प्रांरभिक विद्यालय नियुक्ति नियमावली, 2002 में वर्ष 2003, 2006, 2007, 2009 एवं 2011 में संशोधन किया गया परन्तु नियुक्ति हेतु प्रशिक्षित होना आवश्यक था।

(ii) (क) झारखण्ड राज्य के अंतर्गत **अनुकम्पा पर नियुक्ति** हेतु निर्गत संकल्प संख्या-129, दिनांक 16.01.2008 के अनुसार वर्ष 2012 तक की गई है। इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडियट की परीक्षा 45 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक था। जिसमें अनु.जाति/अ.ज.जा. को 5 प्रतिशत की छूट थी।

(ख) **प्रशिक्षण की अवधि तथा अप्रशिक्षित शिक्षक** के रूप में विद्यालयों में पदस्थापन की अवधि में इन्हें **अप्रशिक्षित वेतनमान** 3050-4050/- ही अनुमान्य था।

(ग) नियुक्ति के बाद **दो वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण** हेतु प्रतिनियुक्त किया जाता था एवं **प्रशिक्षण** के उपरांत ही प्रशिक्षित शिक्षकों को विद्यालयों में पदस्थापित किया जाता था।

4. **राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली, 1993** के अनुसार अप्रशिक्षित शिक्षकों को **प्रशिक्षण प्राप्त करने की तिथि से हीं ग्रेड-I** का वेतनमान एवं वरीयता प्रदान किये जाने का प्रावधान है। इसी के तहत अद्यतन विभिन्न न्यायादेशों के आलोक में कार्रवाई की गई है। किसी न्याय-निर्णय में इस नियमावली को Challenge नहीं किया गया है। यह अद्यतन प्रभावी है।

5. (i) **डब्लू०पी०(एस०) संख्या-638/2006** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.04.2008 मूलतः वर्ष 1994 में नियुक्त मैट्रिक अप्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति की तिथि से ग्रेड-I में उनकी पारस्परिक वरीयता निर्धारित करने से संबंधित था। लेकिन उक्त न्याय-निर्णय के अनुपालन के क्रम में वर्ष 1994 में नियुक्त मैट्रिक अप्रशिक्षित शिक्षकों के साथ-साथ 1999-2000 के अतिरिक्त वर्ष 1987, 1988 में राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालयों में नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों (जिनकी नियुक्ति सामान्यतः प्रशिक्षित अथवा कंडिका-1 के अनुरूप की गई थी) को भी अप्रशिक्षित नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति नियमावली के क्रम में नियुक्ति की तिथि से ग्रेड-I में उनकी पारस्परिक वरीयता निर्धारित करने का आदेश विभागीय संकल्प संख्या-3027, दिनांक 14.12.2015 के द्वारा अधिसूचित किया गया है।

(ii) बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 1991 यथा संशोधित बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक (संशोधन) नियुक्ति नियमावली, 1993 द्वारा नियुक्त शिक्षक तथा इससे पूर्व की नियमावली द्वारा नियुक्त शिक्षकों के नियुक्ति प्रक्रिया तथा नियमावली में एकरूपता नहीं है। इस तरह 1987, 1988 एवं 1994 एवं 1999-2000 वर्ष में नियुक्त शिक्षक **अलग-अलग नियमावली** के द्वारा नियुक्त हैं।

(iii) कंडिका-1 एवं उक्त कंडिकाओं में वर्णित तथ्यों से पूर्णतः स्पष्ट है कि वर्ष 1994 के पूर्व प्रशिक्षित शिक्षक की नियुक्ति होती थी। अतः दोनों नियमावली के मूल अंतर के कारण अलग-अलग नियमावली के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों से अलग-अलग व्यवहार करना आवश्यक है।

6. (i) विभाग द्वारा मंत्रिपरिषद् की सहमति से वर्ष 1987, 88, तथा 1994 एवं 1999-2000 में नियुक्त शिक्षकों को संकल्प संख्या-3027, दिनांक 14.12.2015 द्वारा ग्रेड-I में आपसी वरीयता निर्धारित कर समतुल्यता की स्थिति प्रदान की गई।

(ii) कंडिका-2 में वर्णित निर्णय के क्रम में अन्य नियुक्ति नियमावली 1991 (संशोधित 1993) के पूर्व नियुक्त भी 1987/1988 के अनुरूप (अनुकम्पा सहित) सुविधा नियुक्ति की तिथि से ग्रेड-I की वरीयता मांग करते हुए विभागीय संकल्प 3027, दिनांक 14.12.2015 के अनुशंसा के अनुसार वंचित यथा-वर्ष 1986 के पूर्व नियुक्त, 1986, 1989 एवं 1990 में नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों एवं वर्ष 2012 के पूर्व अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त शिक्षकों की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में वाद (डब्लू०पी०(एस०) **संख्या-502/2016 "धनेश कुमार सिंह एवं अन्य-बनाम-राज्य सरकार एवं अन्य" तथा इसे सम्बद्ध 24 सदृश्य वादों**) दायर किये गये हैं, जिनमें इन शिक्षकों द्वारा भी विभागीय संकल्प संख्या-3027, दिनांक 14.12.2015 में उल्लेखित अलोच्य वर्ष के शिक्षकों के भांति नियुक्ति की तिथि से ग्रेड-I की वरीयता निर्धारित करने की याचना की गई है।

(iii) विभाग द्वारा डब्लू०पी०(एस०) संख्या-2266/2014 "बमशंकर प्रसाद एवं अन्य-बनाम-राज्य सरकार एवं अन्य" में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 22.08.2017 को अंतरिम आदेश के अनुपालन में विभागीय पत्रांक-326, दिनांक 24.10.2017 (संलग्न) द्वारा इस तरह के मामलों पर विचार हेतु एक पाँच सदस्यीय समिति अंतर विभागीय समिति गठित की गई, जिसमें कार्मिक, प्रशासनिक तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची तथा योजना-सह-वित्त विभाग के प्रतिनिधि शामिल थे। समिति द्वारा दिनांक 10.11.2017 को समर्पित प्रतिवेदन में वर्ष 1987, 88, 94 एवं 1999-2000 के पूर्व में नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति की तिथि से ग्रेड-I की वरीयता प्रदान करने की अनुशंसा की गई। समिति द्वारा विभागीय संकल्प संख्या-3027, दिनांक 14.12.2015 का लाभ सभी वर्ष में नियुक्त शिक्षकों एवं अनुकम्पा पर नियुक्त शिक्षकों को देने की अनुशंसा की गई।

(iv) माननीय उच्च न्यायालय में निम्नवत् प्रभावी आदेश द्वारा डब्लू०पी०(एस०) संख्या-502/2016 धनेश कुमार सिंह एवं अन्य-बनाम- राज्य सरकार एवं अन्य तथा इसे सम्बद्ध 24 सदृश्य वादों को निष्पादित किया कि :-

"Be that as it may, having gone through the rival submissions of the parties, this Court is of the considered view that the case of the petitioners needs consideration. Since the law is well settled and now the issue is no more res integra that seniority will be counted from the date of initial appointment and not from the date of completion of training and while condering promotion to Grade-I and to subsequent Grades, the same ratio applies. Therefore, the petitioners are entitled for promotions to Grade-I scale and further to subsequent grades as applicable to indiviual petitioners with all consequential benefits from the date of their initial appointment. Since the respondents have alrady taken into consideration the cases of the petiotioners and have admitted in paragraph 8 of the Counter-affidavit dated 05.12.2017 that the benefits of Resolution dated 14.12.2015 can be extended to all the petitioners and similar situated employees including the compassionate appontees, no fresh direction is required. After following all the procedures regarding the concurrence of Finance Department and approval of the Cabinet, let a final order be passed for consideration of the cases of petitioners in view of Resolution dated 14.12.2015.

As a cumulative effect of the aforesaid rules, guidelines and legal propositions. I hereby direct the respondents to consider the cases of the petitioners in view of Paragraph Nos. 8 & 9 of the counter affidavit date 05.12.2017 and to pass a reasoned order regarding their promotions and other consequential benefits in accordance with law, within a period of 12 weeks from the date of receipt of a copy of this order.

Needless to say the respondents may consider the individual case of the petitioners as per their facts and pass a resounded order in accordance with law within stipulated period as mentioned above."

(v) सभी वादी शिक्षक नियुक्ति नियमावली (जिसके तहत नियुक्त हुए थे) से पूर्ण भिज्ञ थे एवं प्रदत्त सुविधा से संतुष्ट थे। नियुक्ति के 20-30 वर्ष के बाद वर्ष 1994 में नियुक्त शिक्षकों की भांति समतुल्यता वर्त्तमान में मांगा जा रहा है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न वादों में न्याय निदेश पारित किया गया है, जो कि निम्नवत् है :-

(क) *In **Malcom Lawrence Cecil D'souza Vs. Union of India and Ors. (1976) 1 SCC 599,** it was held that if anone feels aggrieved by an administrative decision affecting one's seniority, the said government employee should act with due diligence and promptitude and not sleep over the matter. Rakning up old settled claims after a long time in questioning seniority etc. is likely to cause admisitrative complications and difficulties. This would be contrary to the interset of smoothness and efficiency of service. The quietus should not be disturbed and shattered after a lapse of time.*

(ख) *In **K.R. Mudgal and Others Vs. R.P. Singh and Others, (1986) 4 SCC 531,** the Supreme Court highlighted that promotion should not be disturbed after an inordinate delay. Merits need not be examined when a belated challenge is made to promotions and seniority, as that would create a sense of uncertainty and insecurity amongst goernment servants. A person feeling aggrieved must approach the Court at the earliest.*

(ग) *In **P.S. Sadasivaswamy versus State of Tamil Nadu (1975) 1 SCC 152,** a matter relating to a writ petition under Article 226 of the Constitution, the claim of the writ petitioner was rejected on the ground that it had the effect of unscrambling the scrambled egg, for he had approached the Court after nearly 14 years. At the relevant time, he had failed to question the promotion of his "juniors". A person aggrieved by an order promoting his juniors should approach the Court within six moyhs or a year of such promotion. The Supreme Court observed that thought the Limitation Act was not appliable when Court exercise their powers under Article 226, albeit the writ not to exercise discretion when the aggrieved person does not approach the Court expeditiously. When the petitioner/ applicant allow things the happen and approach the Court by way of a stale claim, he seeks to unsettle the settled matters, and this should not be permitted.*

7. उक्त कंडिकाओं में वर्णित न्यायादेश/नियुक्ति प्रक्रिया इत्यादि द्वारा स्पष्ट की गई वस्तुस्थिति के क्रम में मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 16.07.2019 के मद संख्या-10 में विभागीय संलेख ज्ञापांक-1083, दिनांक 12.07.2019 के क्रम में लिये गये निर्णय के आधार पर विभागीय संकल्प संख्या-3027, दिनांक 14.12.2015 को निम्नवत् रूप में संशोधित किया जाता है :-

(क) वर्ष 1994 एवं 1999-2000 में बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 1991 (यथा संशोधित 1993) के तहत बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त यथा कंडिका-1 वर्णित प्रक्रिया के तहत नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों के संदर्भ में विभागीय संकल्प संख्या 3027, दिनांक 14.12.2015 के द्वारा देय सुविधा अपरिवर्तित रहेगा। इस सीमा तक यह संशोधित समझा जायेगा।

(ख) राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालयों में राज्य सरकार के प्रावधानानुसार वर्ष 1982, 1983, 1984, 1986, 1987, 1988 तथा अनुकम्पा पर 2012 तक मैट्रिक प्रशिक्षित पद के विरूद्ध विधिवत् रूप से नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति की तिथि से ग्रेड-I की वरीयता का लाभ निम्नलिखित शर्तों पर देय होगा :-

(i) पूर्व में प्रशिक्षित तथा प्रशिक्षण की तिथि/नियुक्ति की तिथि से ग्रेड-I प्राप्त एवं विभिन्न माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेशों के आलोक

में राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 1993 के तहत विहित प्रक्रिया के अधीन दी गई प्रोन्नति वर्त्तमान में प्रदत ग्रेड–I वरीयता की तिथि के पुर्ननिर्धारण से अप्रभावी एवं अक्षुण्ण रहेंगे।

(ii) नये सिरे से वरीयता निर्धारित कर मात्र रिक्त पदों पर ही स्थापित प्रक्रिया के तहत राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली के अनुरूप ही प्रोन्नति पर विचार किया जायेगा।

(iii) किसी प्रकार का वित्तीय लाभ ग्रेड–I की वरीयता के कारण पूर्ववर्ती तिथि से देय नहीं होगा। यह मात्र वैचारिक उन्नयन (Notional Upgradation) माना जायेगा।

(iv) उच्चतर ग्रेडों में वित्तीय लाभ मात्र सक्षम स्तर से आदेश निर्गत की तिथि से देय होगा। इस प्रकार वर्त्तमान संकल्प के निर्गत होने की तिथि के पूर्व की तिथि से प्रभावी नहीं होगा।

(v) ये जिला स्तरीय कैडर के कर्मी हैं। ग्रेड–I की वरीयता का आदेश संबंधित जिला शिक्षा स्थापना समिति की अनुशंसा पर उप विकास आयुक्त तथा जिला शिक्षा अधीक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर से निर्गत किया जायेगा तथा यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

(vi) पूर्व में मृत तथा पूर्व में सेवानिवृत अप्रशिक्षित शिक्षकों को कोई वित्तीय लाभ देय नहीं होगा।

(vii) आपसी वरीयता के निर्धारण एवं ग्रेड–I की वरीयता की स्वीकृति हेतु अंकित प्रावधान अनुकंपा के आधार पर वर्ष 2012 अथवा उसके पूर्व मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान पद के विरूद्ध नियुक्त एवं संप्रति कार्यरत शिक्षकों हेतु भी समान रूप से लागू होंगे।

(viii) पूर्व के अप्रशिक्षित (अनुकम्पा सहित) नियुक्त शिक्षकों के भविष्य निधि लेखा संख्या (GPF) तथा दिसम्बर 2004 के बाद नियुक्त शिक्षकों का PRAN No. अंकित करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा सूची तैयार की जायेगी, जिसे संबंधित उपायुक्त एवं क्षेत्रीय शिक्षा उप–निदेशक द्वारा संयुक्त रूप से सत्यापित किया जायेगा तथा इसे झारखण्ड सरकार के website पर PDF file में रखा जायेगा। इस

प्रकार तैयार की गई सूची में सम्मिलित अप्रशिक्षित कार्यरत शिक्षकों को ही नियुक्ति की तिथि से वरीयता हेतु ग्रेड-। के शिक्षक के रूप में या वैचारिक उन्नयन की मान्यता दी जायेगी। शेष शर्तें इस कंडिका में ऊपर वर्णित शर्तों के अधीन होगी।

8. वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक-4568, दिनांक 05.07.2002 के अनुसार अप्रशिक्षित स्नातक योग्यताधारी को देय वेतनमान में कोई परिवर्त्तन नहीं होगा। उक्त पत्र द्वारा देय सुविधा अपरिवर्त्तनीय रहेगी।

9. वर्त्तमान मामले से प्रभावित 1983 से 2012 के बीच नियुक्त शिक्षकों के निर्धारित वेतन की जाँच/सत्यापन का कार्य विशेष परिस्थिति में योजना एवं वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा किया जायेगा। ताकि भविष्य में कोई त्रुटि नहीं होगी तथा अतिरिक्त भुगतान/गलत भुगतान की समस्या तथा पुनर्वसूली का विषय न बने।

10. वर्त्तमान में अधिसूचना निर्गत होने के पूर्व विभागीय संकल्प संख्या-3027, दिनांक 14.12.2015 के आलोक में वर्ष 1987 एवं 1988 में नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा नियमानुसार वैध रूप से ली गई राशि की वसूली नहीं की जायेगी।

11. यह संकल्प विभिन्न विभागों यथा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, विधि (न्याय) विभाग तथा योजना-सह-वित्त विभाग के परामर्श के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

12. यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

18/07/19

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः 8/वि01-281/2007 1145 /राँची, दिनांक 18/07/19

प्रतिलिपिः अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को सूचनार्थ एवं झारखंड राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि उक्त राजपत्र की 200 प्रतियाँ स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) झारखण्ड, राँची को शीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः 8/वि01-281/2007.1145.../राँची, दिनांक...18/07/19...

प्रतिलिपिः झारखण्ड राज्य के महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव/सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी उप विकास आयुक्त/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा अधीक्षक/सभी क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, झारखंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः 8/वि01-281/2007.1145.../राँची, दिनांक...18/07/19...

प्रतिलिपिः महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।